

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए सूचना

किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दहलन एवं गेहूँ) के तहत जिप्सम पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान पर जिप्सम लेने के इच्छुक किसान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाइट www.agriharyana.in पर 31-11-2016 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन देने के लिए किसान अपने क्षेत्र के उप-कृषि निदेशक अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते हैं। जिलावार भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार है:-

क्रमांक	जिले का नाम	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दहलन)		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूँ) (केवल सात जिले)	
		क्षेत्रफल (एकड़ में)	जिप्सम की मात्रा (एम.टी. में)	क्षेत्रफल (एकड़ में)	जिप्सम की मात्रा (एम. टी में)
1	अम्बाला	1000	100	3000	300
2	भिवानी	2800	280	18000	1800
3	हिसार	800	80	5000	500
4	झज्जर	2000	200	8000	800
5	मेवात	1000	100	7400	740
6	पलवल	1000	100	8000	800
7	रोहतक	2000	200	2000	200
8	फरीदाबाद	500	50	0	0
9	फतेहबाद	1000	100	0	0
10	गुडगाँव	500	50	0	0
11	जीन्द	200	20	0	0
12	करनाल	200	20	0	0
13	कुरुक्षेत्र	200	20	0	0
14	कैथल	200	20	0	0
15	महेन्द्रगढ़	2500	250	0	0
16	पानीपत	200	20	0	0
17	पंचकूला	200	20	0	0
18	सोनीपत	200	20	0	0
19	रेवाड़ी	2000	200	0	0
20	सिरसा	1000	100	0	0
21	यमुनानगर	500	50	0	0
	कुल जोड़	20000	2000	51400	5140

विशेष दिशा-निर्देश

1. गंधक की कमी को पूरा करने हेतु अधिकतम 2 बैग प्रति एकड़ जिप्सम दिया जाएगा।
2. एक किसान को अधिकतम 5 एकड़ यानि 10 बैग के लिए अनुदान दिया जा सकता है।
3. जिप्सम 60 प्रतिशत अनुदान पर यानि 90 रुपये प्रति बैग (50 कि०ग्रा०) के हिसाब से दिया जायेगा।
4. अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा।
5. जिप्सम हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के बिक्री केन्द्रों से जिप्सम की पूरी कीमत देकर प्राप्त किया जा सकता है।
6. अनुदान राशि सीधे किसान कि बैंक खातों में जमा करवाई जायेगी।
7. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / उप मण्डल कृषि अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक से सम्पर्क करें।
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूँ एवं दलहन के अन्तर्गत अधिकतम प्रति किसान मात्रा व कुल बैगों की जिलावाईज मात्रा का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (दलहन) :-

ब्रमांक	जिला	अधिकतम प्रति किसान मात्रा (बैग)	कुल मात्रा (बैग)	आवेदित मात्रा (बैग)	आवेदित (एकड़)	क्षेत्र
1	अम्बाला	10	2000			
2	भिवानी	10	5600			
3	हिसार	10	1600			
4	झज्जर	10	4000			
5	मेवात	10	2000			
6	पलवल	10	2000			
7	रोहतक	10	4000			
8	फरीदाबाद	10	1000			
9	फतेहबाद	10	2000			
10	गुडगांव	10	1000			
11	जीन्द	10	400			
12	करनाल	10	400			
13	कुरुक्षेत्र	10	400			
14	कैथल	10	400			
15	महेन्द्रगढ	10	5000			
16	पानीपत	10	400			
17	पंचकूला	10	400			
18	सोनीपत	10	400			
19	रेवाड़ी	10	4000			
20	सिरसा	10	2000			
21	यमुनानगर	10	1000			
	कुल जोड़		40000			

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन (गेहूँ) :-

ब्रमांक	जिला	अधिकतम प्रति किसान मात्रा (बैग)	कुल मात्रा (बैग)	आवेदित मात्रा (बैग)	आवेदित (एकड़)	क्षेत्र
1	अम्बाला	10	6000			
2	भिवानी	10	36000			
3	हिसार	10	10000			
4	झज्जर	10	16000			
5	मेवात	10	14800			
6	पलवल	10	16000			
7	रोहतक	10	4000			
	कुल जोड़		102800			